SHRI D. N. PATODIA : He has denied it only when the matter was brought to the notice of the House.

MR. SPEAKER : He has contradicted it here. Why he did not do it earlier is the point.

DR. V. K. R. V. RAO : I can answer that. I was out of station. I came only last night from a tour of Machlipatam, Vijayawada and other places.

MR. SPEAKER : He saw it last night.

So, you saw it only last night.

DR. V. K. R. V. RAO : I saw it only last night, and I could deny it only today.

13.10 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Eight Minutes past Fourteen of the Clock.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

STATE AGRICULTURAL CREDIT CORPORATIONS BILL—*Contd.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : Sir, I beg to move :

> "That the Bill, as amended, be passed."

If you will permit me, I just have one small point that I wanted to mention. Yesterday, while accepting amendment No. 172 by Shri K. Narayana Rao, I had mentioned a little alteration and sought the permission of the House to make that alteration, that this amendment should come after the world "Fails to subscribe." It is just shifting a few words back. It makes it more meaningful, but that seems to have escaped the attention of the Lok Sabha Secretariat. I hope you will agree to this change being made.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is just a drafting change. It is not a material change. I hope the House accepts it.

SOME HON. MEMBERS : Yes.

MR. DEPUTY SPEAKER : Yesterday, I said I would just permit half an hour's discussion. The Minister of will just take 10 minutes for his reply.

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि थर्ड रीडिंग स्टेज पर कुछ ज्यादा कहना अच्छा नहीं लगता है लेकिन इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि यह मेजर 80 परसैन्ट कल्टीवेटर्स, किसान, पीजेंट्स और लेबरर्स लोगों के भले में लिए सरकार द्वारा लाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं उनसे सिर्फ हाथ जोड़ कर यही अर्ज करना चाहूंगा :

> "खिलौने देकर बहलाया गया हूं,
> व तमन्नाओं में उलझाया गया हूं।"

मेरा कहना यह है कि खाली जबानी जमां खर्च से किसानों का मसला हल होने वाला नहीं है। किसानों को वक्त पर ट्रैक्टर्स नहीं मिलते, वक्त पर उनको बीज नहीं मिलते, फर्टिलाइजर्स नहीं मिलते और न ही उन्हें वक्त पर कर्जा मिल पाता है। एक तो कर्जा वक्त पर नहीं मिलता है और मिलता भी है तो जैसे मेरे और भाइयों ने कहा किसानों को उसे हासिल करने में बड़ा खर्चा करना पड़ता है। किसान बेचारे इधर, उधर धक्के खाते फिरते हैं। इसी तरह जब वह ट्यूबवैल्स लगाते हैं तब उनको कनैक्शन नहीं मिलता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं जल्दी में ताकि पांच मिनट में मैं अपनी बात कह दूं। जब मेनेजमेंट का सवाल उठा था उस वक्त तवज्जह दिलाई गई थी, और उन्होंने इन्कार कर दिया था इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि उन की पार्टी के जो लोग हार जाते हैं वह काबिलियत में कम होते हैं, मगर आज तक देखने में नहीं आया कि जो कारपोरेशनों के चेयरमैन बन रहे हैं या पब्लिक सेक्टर के चेयरमैन बन रहे हैं, उनमें से कोई भी अपोजीशन का लीडर हो। चाहे वह कामत हो या कोई और हो। जो बड़े कांग्रेसी तसदीकशुदा लोग हैं वही आये हैं। इससे डर पैदा होता है :

[श्री अब्दुल गनी डार]

जहां 656 करोड़ रुपया लगा हुआ है वहां किसी अपोजीशन वाले को नहीं लिया गया है हालांकि पब्लिक सेक्टर को हम भी पसन्द करते हैं और हमारे भाई भी पसन्द करते हैं। आज उसमें करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। वहां किसानों के लिये कोई ट्रैक्टर नहीं बनता, कोई और औजार नहीं बनता, जो किसानों को फ्री दिया जा सके।

कल यहां 1 करोड़ और 5 करोड़ की बहस चल रही थी। लेकिन सिर्फ वेस्ट बंगाल का नुकसान कई करोड़ रुपयों का है। आप बिहार को छोड़िये, उड़ीसा को छोड़िये, गुजरात को छोड़िये, राजस्थान को छोड़िये, हरियाणा को छोड़िये, उनको जो नुकसान हुआ वह अलग है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मिनिस्टर साहब वाकई सीरियस हैं और ईमानदार है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये पब्लिक सेक्टर में आदमी भेजे जायें। मैंने अपनी पार्लियामैंट्री जिन्दगी में कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं देखा जिसने कोई भी कामन सैंस की बात को कबूल किया हो। सिर्फ एक मिनिस्टर शिन्दे मैंने देखा जिसने ऐसा किया है। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ही देखिये। कितनी ही माकूल बात क्यों न हो फाल्स प्रेस्टिज में फंसकर वह उसको नहीं मानते। मैं श्री पन्त को कांग्रेचुलेट करता हूं कि वह किसानों की भलाई की बात करने जा रहे हैं। यह बात उनकी काबिले तारीफ है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा पहले होता आ रहा है, अगर अब की भी वही हुआ तो इसका नतीजा खराब होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि जहां तक मेनेजमेंट का सवाल है उस पर मिनिस्टर साहब जरूर तवज्जह देंगे और उनको मुकर्रर करते वक्त खूब ठोंक बजा कर उनको लिया जायेगा। जो भी किसानों के हितैषी हों वह इस कारपोरेशन को चलायें और रिजर्व बैंक को भी चलायें।

मैं दो तीन दिनों के भीतर दूसरा आई-ओपेनर देने वाला हूं जिससे अगर अब तक सरकार की आंखें नहीं खुली तो अब खुल जायेंगी।

[شری عبدالغنی ڈار (گوڑگانوں): ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ تھرڈ ریڈنگ آیج پر کچھ زیادہ کہنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ یہ میزر ۸۰ پرسینٹ کاشتکاروں۔ کسان۔ پیزنٹس اور لیبررس لوگوں کے فائدے کے لئے سرکار دوارا لایا جا رہا ہے۔ اس اوسر پر میں ان سے صرف ہاتھ جوڑ کر یہی عرض کرنا چاہوں گا۔

"کھلونے دیکر بہلایا گیا ہوں تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں۔"

میرا کہنا یہ ہے کہ خالی زبانی جمع خرچ سے کسانوں کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے کسانوں کو وقت پر ٹریکٹرس نہیں ملتے۔ وقت پر ان کو بیج نہیں ملتے فرٹیلائزر نہیں ملتے اور نہ ہی انہیں وقت پر قرضہ مل جاتا ہے۔ ایک تو وقت پر قرضہ نہیں ملتا ہے اور ملتا بھی ہے تو جیسے میرے اور بھائیوں نے کہا کسانوں کو اسے حاصل کرنے میں بڑا خرچ کرنا پڑتا ہے۔

کسان بیچارے ادھر ادھر دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ اس طرح جب وہ ٹیوب ویل لگاتے ہیں تب ان کو کنکشن نہیں ملتا ہے]

ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں جلدی میں تاکہ پانچ منٹ میں میں اپنی بات کہہ دوں۔ جب مینجمنٹ کا سوال اٹھا اس وقت توجہ دلائی گئی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے جو لوگ ہار جاتے ہیں وہ قابلیت میں کم ہوتے ہیں مگر آج تک دیکھنے میں نہیں آیا کہ جو کارپوریشنوں کے چیرمین بن رہے ہیں یا پبلک سیکٹر کے چیرمین بن رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی اپوزیشن کا لیڈر رہا ہو چاہے وہ کامت ہوں یا اور کوئی ہو۔ جو بڑے کانگریس تصدیق شدہ لوگ ہیں۔ وہی آتے ہیں۔ اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے جہاں ۶۵۶ کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے وہاں کسی اپوزیشن والے کو نہیں لیا گیا ہے۔ حالانکہ پبلک سیکٹر کو ہم بھی پسند کرتے ہیں اور ہمارے بھائی بھی پسند کرتے ہیں۔ آج اس میں کروڑوں روپیہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہاں کسانوں کے لئے کوئی ٹریکٹر نہیں بنتا۔ کوئی اور اوزار نہیں بنتا جو کسانوں کو فری دیا جا سکے۔

کل یہاں ایک کروڑ اور پانچ کروڑ کی بحث چل رہی تھی لیکن صرف ویسٹ بنگال کا نقصان کئی کروڑ روپیوں کا ہے۔ آپ بہار کو چھوڑیئے اڑیسہ کو چھوڑیئے۔ گجرات کو چھوڑیئے۔ راجستھان کو چھوڑیئے۔ ہریانا کو چھوڑیئے۔ ان کا جو نقصان ہوا وہ الگ ہے۔

میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر منسٹر صاحب واقعی سیریس ہیں اور ایماندار ہیں تو بولیں۔ پبلک سروس کمیشن کے ذریعہ پبلک سیکٹر میں آدمی بھیجے جائیں۔ میں نے اپنی پارلیمنٹری زندگی میں کوئی ایسا منسٹر دیکھا جس نے کوئی بھی کامنس کی بات کو قبول کیا ہو۔ صرف ایک منسٹر نندا صاحب کو میں نے دیکھا جس نے ایسا کیا ہے۔ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کو ہی دیکھئے۔ کتنی ہی مقبول بات کیوں نہ ہو فالز پریسٹیج میں پھنس کر وہ اس کو نہیں مانتے۔ میں شری پنت کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ وہ کسانوں کی بھلائی کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات ان کی قابلِ تعریف ہے لیکن میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسا پہلے ہوتا آرہا ہے اگر اب کہ وہی ہوا تو اس کا نتیجہ خراب ہونے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جہاں تک اپائنٹمنٹ کا سوال ہے اس پر منسٹر صاحب ضرور توجہ دیں گے اور ان کو مقرر کرتے وقت خوب ٹھونک بجا کر ان کو لیا جائیگا۔ جو بھی کسانوں کے ہتیشی ہوں وہ اس کارپوریشن کو چلائیں اور ریزرو بینک کو بھی چلائیں میں دو تین دنوں کے اندر دوسرا آئی اوپنر دینے والا ہوں جیسے اگر اب تک سرکار کی آنکھیں نہیں کھلیں [تو اب کھل جائیں گی۔]

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के लिये सरकार को हार्दिक बधाई देता हूँ कि सरकार को देर से ही सही, लेकिन यह बात सूझी कि किसानों के लिये कुछ करना चाहिये, खास कर उन किसानों के लिये जो कि बिहार, वेस्ट बंगाल और असम के हैं जहां पर कोआपरेटिव कमजोर हैं। सरकार के दिमाग में यह बात बहुत देर से आई कि इन स्टेट्स में कोआपरेटिव कमजोर है। डा० राम सुभग सिंह यहां बैठे हुए हंस रहे हैं लेकिन जब वह ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तब उन्होंने खुद सोचा कि इन जगहों पर कोआपरेटिव कमजोर है।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब किसानों को रुपया देने का सवाल है तब नियम सरल होना चाहिये, नहीं तो जो कोआपरेटिव की स्थिति है वही होगी कि किसान दौड़ते-दौड़ते मर जाता है, लेकिन कोआपरेटिव से रुपया जल्दी नहीं मिल पाता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप ने जो लिमिट आफ बिजिनेस रक्खी है वह बढ़ाई जाये। मैं श्री पन्त से कहना चाहता हूँ कि वह किसानों से हमदर्दी रखते हैं तो कम से कम जो बिजिनेस की लिमिट है उस को बढ़ायें। मैं एक कोआपरेटिव बैंक का मेम्बर हूँ। उस में लिमिट इतनी कम रहती है कि जब पैसा चुक जाता है तो किसानों को पैसा नहीं मिलता। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

स्टेट में तो कोआपरेटिव होंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहां पर एक सैंट्रल स्टेट ऐग्रीकल्चर क्रेडिट कारपोरेशन भी होना चाहिये ताकि सब कोआपरेटिव्ज का अन्दाज रहे कि कहां कितना बिजनेस हुआ और कितना नहीं हुआ। इस की सख्त जरूरत है जिस की गुंजाइश इस बिल में नहीं रक्खी गई है। आगे सरकार इस पर विचार करे और सोचे।

जब आज इस कारपोरेशन की स्थापना होने जा रही है तब इस में ऐसे अफसर रक्खे जायें जो किसान-माइन्डेड हों और किसानों की कठिनाई को सोचते हों। किसान को कब किस प्रकार की जरूरत है उन को मालूम होना चाहिये। अगर आप शहरों के लोगों को वहां पर रख देंगे तो उन को तो पता ही नहीं होगा कि कब भदई की फसल होती है, कब रबी की फसल होती है और कब अगहनी की फसल होती है और कब किसान को रुपयों की जरूरत होती है कब नहीं। इस विभाग में जो बड़े-बड़े अफसर रक्खे जायें वह किसान-माइन्डेड हों और गांवों से आने वाले हों, जिन के घर का वे आफ लाइफ किसानी का हो। भले ही वह शहर में रहते हों, लेकिन इस संगठन में वे ही लोग रहें जो किसान के दुःख दर्द को समझते हों। अगर वैसा आदमी नहीं रक्खा जायेगा और शहर का आदमी रक्खा जायेगा तो उसे किसान से कोई मतलब नहीं होगा।

इस के साथ ही मैं यह चाहता हूँ कि किसान से कर्ज को वापस लेने की धारा में जो पांच वर्ष का समय रक्खा गया है उस में कुछ सुधार हो। मान लीजिये किसी किसान ने ट्रैक्टर खरीदा। तो पांच वर्ष में ट्रैक्टर से खेती कर के जो उस की आमदनी होगी उस से वह अपना कर्जा नहीं अदा कर पायेगा। मेरा अपना अन्दाज है कि पांच वर्ष का जो नियम रक्खा गया है उस को बढ़ा कर दस वर्ष रक्खा जाये ताकि दस वर्ष में अगर वह कोई बड़ा

[श्री विभूति मिश्र]

काम करना चाहता है, कोई बांध बनवाना चाहता है, कोई बड़ा कुआं खुदवाना चाहता है, बिजली लगवाना चाहता है या बिजली के लिये टैंक बनवाना चाहता है तो वह उस काम को आसानी से कर सके और कर्जा भी अदा कर सके ।

मैं चाहता हूँ कि सरकार इस चीज को जल्दी से जल्दी लागू करे और जिन स्टेटों में कोआपरेटिव कमजोर हैं, जिन के लिये यह खास तौर पर बनाया जा रहा है, उन की ओर इस में विशेष ध्यान दिया जाये। ऐसा न हो कि इस की स्थिति भी कोआपरेटिव जैसी हो, जिस के बनाने से कोई फायदा न हो ।

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को कर्जे देने वाली बहुत सी एजेन्सियां पहले से यहाँ चल रही थीं, यह भी एक नई एजेन्सी बनाई गई है । मालूम तो ऐसा पड़ता है कि बहुत ज्यादा कर्जा देने के लिये सरकार लालायित है, लेकिन दो कसौटियां कर्जा देने की होती हैं । दोनों में ही यह नई एजेन्सी बनने के बाद कोई राहत मिलने वाली नहीं है। पहली कसौटी यह है कि चूंकि राष्ट्रीय आय का पचास फीसदी से ज्यादा भाग खेती से आता है और जो एक्स्पोर्ट कर रहे हैं उस का भी 50 फीसदी से ज्यादा भाग डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली खेती से ही आता है, इस लिये मुल्क का जो फाइनेन्शल क्रेडिट सिस्टम है उस में 50 प्रतिशत कर्जा खेती को दिया जाना चाहिये। लेकिन मुसीबत यह है कि खेती का जो विषय है वह सूबे का है और रुपये पैसे की मालिक दिल्ली की सरकार है । बैंक सारे आप लोगों के हाथ में हैं । शायद आपका ताल मेल नहीं बैठता और बीच में फजीहता हो जाया करता है । वर्ना जो बैंक सोशलाइजेशन सिस्टम चलाया गया उस में से 18 प्रतिशत कर्जा आप खेती के लिये देते । उस 18 प्रतिशत में से भी आप देखेंगे कि 10-12 प्रतिशत ट्रेड ले जायेगा खेती के नाम से । मैं कहना चाहता हूँ कि इस कसौटी पर अब तक जितनी आप की एजेन्सीज हैं सब मिल कर सिवा इस के कि किसानों को मूर्ख बनायें और कुछ नहीं करतीं । प्रोपेगेन्डा के लिये तो आप कह सकते हैं कि यह एजेन्सी किसानों को कर्जा देने के लिये और दूसरी सहूलियतें देने के लिये हैं, लेकिन सही बात यह है कि इस मुल्क में कर्जा देने के लिये जो फाइनेन्सिंग होती हैं उस का 50 प्रतिशत निश्चित रूप से खेती पर जाना चाहिये, लेकिन वह 10 प्रतिशत तक नहीं पहुंच रहा है । इस बिल के बाद भी वह नहीं पहुंच पायेगा ।

किसानों को कर्जा मिल जाये उन की हैसियत के हिसाब से और कर्जे की वसूली होने की गारेन्टी हो, इस में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । सरकार ने कभी इस बारे में नहीं सोचा । ऐसी हालत में इस तरह का बिल लाने से कोई फायदा नहीं है । मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार हिम्मत कर के आप कोई ऐसा सिस्टम बना लीजिये और कोई ऐसा बिल ले आइये जिस में इन पचास एजेन्सियों के बजाय एक ही एजेन्सी रह जाय । हर किसान को यह पता हो कि उस की हैसियत क्या है । सरकार उस को एक कार्ड दे सकती है, एक पास बुक दे सकती है जिस में उस की हैसियत लिखी हुई हो । अगर वह अपनी जमीन बेचे तो उस का दाखिल खारिज हो जाये, अगर वह खेती के लिये कर्जा ले तो वह कर्जा उस में लिख लिया जाये, वह किस जगह पर है इस का उस को पता रहे । उस को मालूम रहे कि इतना रुपया वह ले सकता है और यह उस को देना है । इस के लिये आप एजेन्सी बनायें । मान लीजिये कि मेरी हैसियत कुछ है । मैं 5,000 रु० और ले सकता हूँ । तो मैं एजेन्सी से जा कर 5,000 रु० ले लूं । उस के बाद यह गारेन्टी सूबे की सरकारों के साथ होनी चाहिये कि वह रुपया अगर मैं नहीं देता तो वह एजेन्सी लैंड रेवेन्यू की तरह से मुझ से ले ले । अगर मेरी जमीन इस के लिये नीलाम भी हो जाये तो भी वह रुपया मुझ से वसूल ही जाये, और जितना

रुपया एजेन्सी हमें दे उतना ही रुपया रिजर्व बैंक एजेन्सी को एडवान्स कर दे। इस रुपये को फाइनेन्स करने के लिये एक ही एजेन्सी होनी चाहिये और वसूली की गारेन्टी होनी चाहिये ताकि रुपया सहूलियत से वसूल हो सके। दोनों बातों का समन्वय बहुत जरूरी है। जितनी अब तक की आप की फाइनेंसिंग एजेन्सीज हैं किसी के जरिये से इन में से कोई काम नहीं हो रहा है। यह जो एजेंसी आप हम को दे रहे हैं इसको देने में जितना हम को फायदा होता है उससे ज्यादा हम को परेशानी हो जाती है। कौन सी आप गारंटी करेंगे कि आसानी के साथ कर्जा किसानों को मिल जाएगा। आप की अफसरशाही है जो कि हर जगह चल रही है। कोआप्रेटिव्ज में वह चल रही है। यहां भी वही चलेगी। थोड़ा तो आप रुपया देंगे, ज्यादा मांगने वाले होंगे। इसकी वजह से फिर वही प्रोसीजर चलेगा। इस अफसर से उस अफसर तक चीज जाएगी। नतीजा यही होगा कि कर्जा लेने वाला आदमी जो है उसको कई सौ रुपया तो रिश्वत में देना पड़ जाएगा। उसके बाद वसूली का सवाल पैदा होता है। इस सब का क्या परिणाम निकलेगा, इसको आप भी देख सकते हैं।

मैंने पहले भी सुझाव दिया था और वित्त मंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। इस हाउस में भी मैंने इस सुझाव को रखा था। लेकिन उसकी ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं उस चीज को दोहरा देना चाहता हूं। आपने एक ही देश में दो मुख्तलिफ किसान और गैर किसान बना दिये हैं। किसान और गैर किसान के लिए भेदभाव आपने क्यों बरत रखा है। आपके बैंकिंग सिस्टम में लैंड मार्टगेज बैंक मौजूद हैं। वे सूबों के अन्दर हैं। वहां से अगर किसान कर्जा लेना चाहता है तो कानूनन उसको छूट है कि वह कोर्ट फीस न दे। बिना कोर्ट फीस के उसको कर्जा मिल जाता है। लैंड मार्टगेज बैंक सूबों की सरकारों के नियंत्रण में कार्य करते हैं। उन से पोलिटिकल फायदा भी उठाया जाता है। जिस दल की सरकार बनती है वह किसानों को कर्जे दिलाने के नाम पर राजनीतिक लाभ भी उठाना चाहती है। जो दूसरे बैंक हैं इनमें से अगर किसान कर्जा लेना चाहता है तो अठारह सैंकड़ा उससे लिया जाता है। किसान लैंड मार्टगेज बैंक से जो कर्जा लेता है उसके दो साल के ब्याज के बराबर उसका खर्चा हो जाता है अगर वह दूसरे बैंकों से कर्जा लेना चाहता है तो। सोलह सतरह सैंकड़ा जैसा बड़ा ब्याज हो जाता है। मैंने वित्त मन्त्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि मेहरबानी करके एक सर्क्युलर निकाल दीजिये इसके बारे में। जहां पर सेंटर का राज है वहां तो गवर्नर से कहकर आप निकाल सकते हैं, आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं और जहां पर गवर्नर का राज नहीं है, वहां पर आप उनको सलाह दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह तो सूबों का विषय है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक हजार बातों में तो आप सूबों को सलाह देते रहते हैं लेकिन इस बात में आप नहीं दे सकते हैं। जहां आपका मतलब होता है वहां पर तो आप दे सकते हैं लेकिन जहां पर किसान के मतलब की चीज होती है तो आप सूबों को राय नहीं दे सकते हैं ? क्या इसका यह अर्थ लगाया जाए कि सूबे किसी दूसरे देश के हिस्से हैं, उन से सेंटर का क्या मतलब ? आप उनसे क्या कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं ? यह तो एटीट्यूड है यह किसान और खेती के लिए निहायत ही खतरनाक एटीट्यूड है।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन दोनों कसौटियों पर, किसान को ऋण देने वाली बात पर यह बिल खरा नहीं उतरता है तो यह बेकार का बिल है। इससे पहले भी जितने बिल आपने बना रखे हैं, वे भी बेकार हैं। दूसरी कसौटी यह है कि राष्ट्रीय आय का जितना बड़ा हिस्सा आप खेती से ले रहे हैं और एक्सपोर्ट में जितना बड़ा हिस्सा आप खेती से ले रहे हैं, उतना हिस्सा किसान को ऋण में आप देने की व्यवस्था करें। टोटल फाइनेंसिंग जो कृषि में होती है, उसमें आप इसको भी शामिल करें। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि कितनी आसानी से और बिना रिश्वत

[श्री महाराज सिंह भारती]

दिये हुए उसको ऋण मिल सकता है। मैं समझता हूँ कि इन दोनों कसौटियों पर आपका यह बिल खरा नहीं उतरता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक कम्प्रिहेंसिव बिल आप लायें, एक ही एजंसी बनाने की कोशिश करें, जो इन सब कामों को कर सकें और जो इन दोनों कसौटियों पर खरी उतर सके।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : मैं इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूँ। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता है। गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा काम करे तो उसके ऊपर हैमरिंग करना शुरु नहीं कर देना चाहिये। मैं अपने मित्र को बतलाना चाहता हूँ कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे सामने बैठे हुए है ये कोई मामूली फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हैं। बड़े बाप के ये बड़े बेटे हैं। फाइनेंस के ये पंडित हैं। ये इस चीज को जानते हैं। इनसे हम लोगों को बड़ी आशा है, विश्वास है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देअर शेडो बीफोर। मुझे यकीन है कि ये बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर साहब साबित होंगे। ये फर्स्ट क्लास एम० एस० सी० हैं। आपकी तरह से मिडल फेल नहीं हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि पंत जी के नेतृत्व में हम गरीब किसानों को समय पर कर्जा मिल सकेगा और हम सुखी होंगे, समृद्ध होंगे। जिस तरह के ढपोल संखिये आपकी संविद सरकार में थे, उस तरह के इस सरकार में नहीं हैं। संविद सरकारों की ढपोल संखियों जैसी नीति रही है, हमारी सरकार की नहीं रही है। हमारी जिस सरकार ने बिजली चार खम्भों तक फ्री दी थी किसानों को, इनकी गवर्नमेंट जब पावर में आई तो उसने हमारे ऊपर बैन लगा दिया। हम किसान लाख आंसू बहाते हैं, रोते हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है। हम को ठीक समय पर कर्जा मिलना चाहिए। दफ्तरों में काम ठीक से होना चाहिए। अधिकारी वर्ग को ठीक तरह काम करना चाहिए। महाराज सिंह भारती जी ने जो रिश्वत वाली बात कही है, उस रिश्वत वाले बाजार को आप ठीक करें। खेती को आप ठीक करें ताकि हम को अमरीका से भीख न मांगनी पड़े। ठीक ढंग से और ठीक समय पर कर्जा हम को मिले, खेती का डिवेलेपमेंट हो, यह हम सब की कामना है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि पन्त जी के रहते हुए हमारे देश का कल्याण होगा।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : वैसे तो जब संशोधन पेश किये गए थे तभी मैं बोल चुका हूँ लेकिन अब जब इस बिल को पास करने जा रहे हैं, तो मैं एक बार फिर इसका स्वागत करता हूँ।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि हम ओवर-आप्टिमिस्ट हो जाएं और ओवर-आप्टिमिज्म में आ कर जो हकीकत है, उसको भूल जायें और वास्तव में जिनको इस बिल से फायदा पहुंचना चाहिए, उनको न पहुंच पाये। कर्जा देने वाली जो आपकी एजंसीज हैं, जो सिलसिला आपने एग्रिकल्चरल लोंज का बनाया है, तकावी कर्जों का बनाया हुआ है, कोआपरेटिव लोंज का बनाया हुआ है, उस सिलसिले को आप सरजमीन पर जा कर देखिये और पता लगाइये कि वास्तव में कितना कर्जा किसानों को मिलता है और कितनी कठिनाइयों और परेशानियों में से होकर गुजरने के बाद मिलता है। जो आपकी मशीनरी है यह भ्रष्ट मशीनरी है। यदि आपकी मंशा यह हो कि किसान को एक रुपया मिले तो वास्तव में उसको दस पैसे ही मिल पाते होंगे। यह जो बीमारी है, इसको आपको खत्म करना होगा। यह तो सभी अनुभव करते हैं कि कृषि में क्रेडिट की कमी अनुभव की जा रही है और उनको समय पर कर्जा नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, पूंजी का इंतजाम नहीं हो पाता है, बीज का इन्तजाम नहीं हो पाता है, दूसरी सुविधाओं का नहीं हो पाता है। इस वास्ते ये सुविधायें उसको उपलब्ध हों इसका प्रबन्ध आप

को करना होगा। इनके अभाव में वे उत्पादन नहीं बढ़ा पाते हैं, खेती का विकास नहीं कर पाते हैं। ये जो रुकावटें हैं इनको आपको दूर करना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि वास्तव में किसान को फायदा हो और आपका उत्पादन बढ़े। इसको इम्प्लेमेंट करने वाली जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें आपको परिवर्तन करना होगा, उसमें आपको बुनियादी तबदीलियां करनी होंगी। जब आपने ऐसा किया तब जाकर यह मुमकिन होगा कि आपका जो मकसद है वह पूरा हो।

क्रेडिट से ही एग्रिकल्चर का जो मसला है वह हल होने वाला नहीं है। आजादी के बाद जमींदारी का एबालिशन हुआ। लेकिन इससे क्वालिटेटिव चेंज जो आना चाहिए था वह नहीं आया। अभी भी बहुत से लोग हैं जो बेजमीन हैं। उनका मसला एक बुनियादी मसला है। जब तक आप भूमिहीनों को जमीन नहीं देते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। क्रेडिट के लिए आप जितना पैसा दे दें, दिखाने के लिए आप बेशक हमें बड़े बड़े आंकड़े दिखा दें, लेकिन जब तक हिन्दुस्तान में भूमिहीन लोगों की समस्या हल नहीं होती है, उनको भूमि नहीं मिलती है तब तक कृषि के क्षेत्र में रेडीकल परिवर्तन नहीं होगा, बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा। देश में जितनी भूमि फालतू पड़ी हुई है वह भूमिहीनों में बाँट दी जानी चाहिये। केवल कानून के द्वारा इसका हल नहीं निकल सकता है। कानून को छोड़ कर जरा ग्रामदान का जो उसूल है उसको आपको लागू करना होगा। उससे भूमिहीनों को जमीन मिल सकती है। उससे कोआपरेशन के लिए भी रास्ता साफ होगा। लार्ज स्केल फार्मिंग भी हो सकेगा। साइंटिफिक फार्मिंग भी हो सकेगा तब यह जो क्रेडिट वाली बात है इससे वास्तव में लाभ होगा, इससे एग्रिकल्चर में जो कोआप्रेशन वाली बात है, उसको बढ़ावा मिलेगा और एग्रिकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा। उस समय मार्किटेबल सरपलस भी आपको मिलेगा और उससे आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी मदद मिलेगी।

इस वास्ते मैं कहूंगा कि आप ओवर-आप्टिमिस्ट न हों। मशीनरी को आप स्ट्रीमलाइन करें ताकि किसानों को आसानी से कर्ज मिल सकें।

जो कुछ भी आप इस वक्त बना रहे हैं उस का मैं स्वागत करता हूं। हकीकत में किसान को इससे लाभ हो, इस पर आपको गौर करना होगा।

श्री शिंकरे (पंजिम) : मैं मन्त्री महोदय का अभिनन्दन करता हूं इस वास्ते कि यह जो विधेयक है इसको केवल मेरे जैसे निर्दलीय सदस्य द्वारा पुरस्कृत नहीं किया जा रहा है। सभी दलों ने इसको पुरस्कृत किया है मन्त्री महोदय ने कई एमेंडमेंट्स जो पेश हुए थे उन में से कुछ को स्वीकार भी किया है। यह खुशी की बात है। यह एक योग्य परम्परा है। इस तरह की परम्पराओं का धीरे-धीरे और भी निर्माण किया जाना चाहिये।

हम यह देख रहे हैं कि भारत में गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं और श्रीमन्त अधिक श्रीमन्त होते जा रहे हैं। गरीबों और श्रीमन्तों में जो अन्तर है, वह बहुत बढ़ने लगा है। मैं चाहता हूं कि जो कारपोरेशन बनाया जा रहा है, इसके द्वारा इस अन्तर को और ज़्यादा बढ़ावा न दिया जाए और कोशिश की जाए कि यह कम हो।

इस कारपोरेशन में कर्ज देने की जो बात कही गई है, उसके बारे में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। कितना भी एक आदमी को कर्जा मिल सकता है। मैंने गोआ में देखा है कि जब केन्द्र सरकार ने कमर्शियल बैंकों को अनुमति दी थी कि वे कृषि के लिए ऋण दे सकते हैं तब वहाँ के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने वहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फार्मिंग के लिए आठ-आठ लक्ष का कर्जा दिया है। इतना कर्जा देने की वजह से नये तरीके की जमींदारी निर्माण होने का धोका है। यह आवश्यक है कि छोटे किसानों को कर्ज प्राप्त करने की पूरी सुविधा दी जाये। इस बारे में कोई लिमिट न रखने का परिणाम यह होगा कि बड़े और छोटे फ़ार्मर्ज में अन्तर बढ़ जायेगा और इस बिल का मौलिक, बुनियादी, हेतु पूरा नहीं होगा।

[श्री शिंकरे]

जहां तक चेयरमैनशिप का सम्बन्ध है, मैंने बार-बार यह स्ट्रेस करने का प्रयत्न किया है कि चेयरमैन का पद ऐसे लोगों को दिया जाये, पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में जिन की श्रद्धा है। आज सुबह और कल ही इस सदन में श्री केशवदेव मालवीय का जिक्र किया गया। जब श्री मालवीय जैसे लोग किसी पब्लिक अंडरटेकिंग के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किये जाते हैं, तो मेरे जैसे लोग तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की किसी विषय में श्रद्धा होती है, वही उस में सुचारु रूप से कार्य कर सकता है और उस में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए मन्त्री महोदय इस बात का ध्यान रखें कि इस कारपोरेशन के चेयरमैन के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किये जायें, जिन की इस विषय में श्रद्धा हो।

श्री भोला नाथ मास्टर (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बिल बहुत ही अच्छे समय पर आया है। जब पंडित जी ने कम्यूनिटी प्राजेक्ट और पंचायती राज का एक नया दौर शुरू किया था, उस समय यह ख्याल था कि उन के द्वारा देहात का क्षेत्र बिकास करेगा। लेकिन वहां से जो तकावियां मिलती थीं, लगभग सभी सरकारों ने उन्हें खत्म कर दिया और यह काम कोआपरेटिव्ज के सुपुर्द करना तय किया गया लेकिन यह देखा गया कि किसानों को न तो लैंड मार्गेज बैंक्स से पूरा पैसा मिला और न को-आपरेटिव बैंक्स से। को-आपरेटिव बैंकों में सब से बड़ी कठिनाई मीडियम टर्म लोन्ज के बारे में है। इस लिए इस बिल में यह व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि अधिक से अधिक मीडियमटर्म लोन और लांग-टर्म लोन दिये जायें।

इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में किसी मशीनरी के लिए केवल दस परसेंट जमा कराना पड़ता है, लेकिन जब किसान ट्रैक्टर की तकावी के लिए सामुदायिक विकास खंड में जाता है, तो उसे पचास परसेंट जुटाना पड़ता है। उस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। मेरा सुझाव यही है कि जो सहूलियत इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में दी जाती है, वही किसानों को भी दी जानी चाहिए।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह आम चर्चा है कि यह सरकार बिल्कुल नालायक सरकार है, लेकिन पिछले बीस बरसों के बाद यह सुन्दर बिल ला कर इस सरकार ने जो काम किया है, मैं उस का स्वागत करता हूँ।

हम सब लोगों की यह इच्छा है कि किसानों को जो कर्जा दिया जाये, वह उन्हें बहुत सरलता से मिले और उस में कानून की इतनी पेचीदगियां नहीं होनी चाहिए, जिन के कारण उन्हें परेशानी हो। इस समय यह स्थिति है कि किसानों को कर्जा लेने में बड़ी दिक्कत पेश आती है और वे बहुत परेशान होते हैं।

आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है; आज वह कर्जे के बोझ से दबा जा रहा है। अगर किसानों को कर्जा सरलता से मिले और उस में कोई कानूनी पेचीदगियां न हों, तो वे उस का सदुपयोग पैदावार बढ़ाने के लिए करेंगे। अधिक पैदावार होने से हमारा देश इस आर्थिक संकट और कर्जे के बोझ से छुटकारा पा सकता है।

जो काश्तकार भूमि खरीदते हैं, उन्हें सरलता से कर्जा मिलना चाहिए इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वनवासी, आदिवासी, पिछड़ी जातियों के लोग और हरिजन इस दिशा में अधिक रुचि लें और कर्जा ले कर जमीन खरीदें और उस में अधिक पैदावार करें। सरकार को इस तरफ़ विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस समय जो जमीन परती पड़ी है, जो किसी के काम नहीं आ रही है, वे लोग उस में हल चला कर पदावार को बढ़ायें।

श्री शशि भूषण बाजपेयी (खारगोन): एक लायक आदमी का सर्टिफ़िकेट तो मिला सरकार को ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली चर्चाओं में इस विधेयक के सम्बन्ध में जो मुख्य-मुख्य बातें उठाई गई, उनके बारे में मैं बोल चुका हूँ। जब इस विधेयक की धाराओं और संशोधनों पर विचार हुआ, तो हमें उन सब विषयों में तफसील के साथ जाने का अवसर मिला । इसलिए इस वक्त उन सब बातों के बारे में लम्बी चर्चा करने का अवसर नहीं है । मुझे इस बात की खुशी है कि सदन के सभी कोनों से इस विधेयक का समर्थन हुआ है, यहां तक कि २०, २१ साल के बाद श्री कछवाय को भी सरकार द्वारा लाये गये किसी विधेयक का समर्थन करने का अवसर मिला ।

इस विधेयक में इस सदन की कितनी दिलचस्पी है, यह तो इसी से स्पष्ट होता है कि इस के सिलसिले में यहां पर २०६ संशोधन पेश हुए और उनके बारे में भी यहाँ बहुत दिलचस्पी के साथ चर्चा हुई। भले ही कोई सैद्धान्तिक मतभेद इस बारे में नहीं था, फिर भी इस विधेयक पर इतनी लम्बी चर्चा हुई कि यद्यपि इसके लिए दो तीन घंटे दिये गये थे, लेकिन यह छः सात, आठ घंटे तक चला और इसके हर एक पहलू, और इस बिल के बाहर भी जा कर सारी कृषि-नीति और अन्य सम्बद्ध विषयों पर चर्चा हुई ।

माननीय सदस्य, श्री शिंकरे, ने मेरे बारे में अभी जो कहा, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने कई संशोधन स्वीकार किये जाने के बारे में कहा। यह तो हमारा काम ही है। संसद् में विधेयक इसी लिए आता है कि उसमें सुधार करने के लिए सुझावों और संशोधनों को यथा-सम्भव स्वीकार किया जाये ।

श्री अब्दुल गनी डार : लेकिन हमने यह मौका पहली बार देखा है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस विधेयक में इतनी दिलचस्पी ली और अध्ययन कर के अपने-अपने संशोधन और सुझाव दिये ।

इस चर्चा से एक बात तो यह निकली कि कृषि-उत्पादन के विषय में सब की चिन्ता है और सब चाहते हैं कि हम खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता की तरह बढ़ें। माननीय सदस्य, श्री भारती, ने एक ही एजेन्सी बनाने का सुझाव दिया। मैं समझता हूँ कि एक एजेंसी से काम चलना बड़ा मुश्किल है। वह खुद कहते हैं कि ऋण की मात्रा, उसका अनुपात, बढ़ाने की अवश्यकता है। अगर एक ही एजेंसी रखी जाये, तो यह संभव नहीं है। इसके लिए कई एजेन्सीज़ की आवश्यकता हो सकती है। वह चाहेंगे कि इस काम के लिए बैंक भी कर्ज दें और को-आपरेटिव्ज भी। दो एजेंसीज़ तो ये हैं। यह कार्पोरेशन एक तीसरी एजेन्सी है। इस लिए मैं समझता हूँ कि वह इस बात को मानेंगे कि एक ही एजेन्सी बनाना इतना सरल नहीं है और उस से शायद किसानों को पूरा लाभ भी नहीं हो पायेगा ।

किसी माननीय सदस्य ने इस बात पर तो एतराज नहीं किया कि सहकारिता के ही द्वारा किसान को कर्ज पहुँचाया जाना चाहिये, लेकिन इस बात की चर्चा अवश्य की गई कि कई जगहों में सहकारी संस्थायें अच्छी तरह से नहीं चल रही हैं, उन में कुछ खामियां और कमजोरियां हैं। श्री झा और श्री डार ने इसकी चर्चा की। मैं उन माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सब सहकारी संस्थायें राज्य सरकारों के नीचे काम करती हैं। एक हद तक उन से सलाह-मशवरा तो हो सकता है, लेकिन आखिर में यह काम राज्य सरकारों के नीचे ही आता है। इसलिये जिस-जिस राज्य से वे आते हैं, अगर वे वहां की सरकारों को सलाह दें, तो ज्यादा लाभ होगा। मुझे यही आशा है कि अब राज्य सरकारें जल्दी से जल्दी इन कारपोरेशनों का संगठन करेंगी।

एक चीज की चर्चा फिर इस वक्त हुई। मैं उसके बारे में कुछ कहना आवश्यक समझता हूँ। वह यह कि इससे पैसा कम होगा और

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

इस में जितना पैसा रखा गया है वह पर्याप्त नहीं होगा ऋण देने के कार्य को पूरा करने के लिए सारी बहस में मैं नही जाता। लेकिन यह मैं आश्वासन दे सकता हूँ सदन को कि अगर यह पैसा पर्याप्त नहीं है, जिस काम के लिये रखा गया है उसके लिये काफी नहीं है तो हम आप के पास आयेंगे और पैसा बढ़ाने की आवश्यकता समझेंगे तो उसको बढ़ायेंगे। इस लिए इसके बारे में आप को कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

शिकरे साहब ने दो एक बातें कही थीं। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की बात थी कि लिमिट रहनीं चाहिये। यह बिल में रखने की बात नहीं है। यह बाद को बोर्ड के तय करने की बात है।

कोर्ट फीस का जिक्र भारती जी ने किया था। उन्होंने कहा था कि कोर्ट फीस आप कहते हैं कि राज्य सरकारों की बात है। तो राज्य सरकारों की बात तो है ही। यह स्टाम्प एक्ट के मातहत राज्य सरकारें कोर्ट फीस मुकर्रर करती हैं।

श्री महाराज सिंह भारती : आप उनको सलाह दे सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : हम उनको लिखेंगे। आप को पत्र उप-प्रधान मंत्री ने लिखा है, वह मिला होगा।

श्री महाराज सिंह भारती : नहीं मिला है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : ताज्जुब है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम राज्य सरकारों को आवश्यकता पड़ी तो लिखेंगे।

श्री महाराज सिंह भारती : अभी आवश्यकता पड़ी नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : आप वह पत्र पढ़ लें फिर सलाह देना चाहें तो दें वरना सदन का समय खराब होगा।

तो मैं आखिर में फिर सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी दिलचस्पी उन्होंने इसमें ली और आशा करता हूँ सदन इस बिल को पास करेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, the question is :

"That the Bill, as amended be passed."

The motion was adopted

14.40 hrs.

MOTION RE FINAL REPORT OF ROAD TRANSPORT TAXATION ENQUIRY COMMITTEE—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall now take up further consideration of the Final Report of the Road Transport Taxation Enquiry Committee. The time at our disposal is 1 hour and 20 minutes. I do not like that this be discussed in instalments. The House would like to hear the hon. Minister. I would request the hon. Members to confine their remarks to 10 minutes each. Shri Goel to continue his speech. You have already taken 10 minutes. Please conclude in a few minutes.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I narrated yesterday that the transport industry is in the doldrums. It has not got a fair deal at the hands of the Government. It is good that the hon. Minister is present today. We missed him very much yesterday. He himself is of the opinion that, at present, the industry is faced with several difficulties. I would not read from his speech where he has admitted all this. He has admitted that the industry is suffering from heavy taxation. I wonld like to make an appeal to him that, if he really feels that the industry is suffering from heavy taxation, that it will be good to make a beginning with the reduction of excise duties on fuel, tyres and tubes and vehicles so that this burden may be reduced to some extent.